भाग–2

7	परियोजना / स्कीम का नाम	उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत रा0रा0 73, रूडकी–छुटमलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर–उ0प्र0 / हरियाणा बार्डर भाग तथा रा0रा072ए, छुटमलपुर–गणेशपुर भाग के 4 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उ0प्र0
(ii)	जिला	सहारनपुर
(iii)	वन प्रभाग	शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0) में	39.235 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्नक की जायें) सिंचाई / जलीय परियोजना के संबंध में एक और एल0एफ0 और एल0–2 मीटर पर परिगणना और आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	संलग्न
(viii)	भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	प्रस्तावित क्षेत्र भू–क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	यह आरक्षित वन भूमि है। एन0एच0 72ए के किमी0 16.000 आरक्षित वन सीमा से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म, उद्यान वन्यजीव, अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी काराडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीवनकार्ड का टिप्पणियों अनुबंधित की जायें।)	संरक्षित वन भूमि।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जो है। यदि हॉ तो तत्सबंधी ब्यौरा दे।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सबंधी सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	नहीं, अतः अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	परियोजना हेतु 39.235 हे0 वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की कार्यवाही वन ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबंधी अभी भी चल रहा है।	नहीं, प्रमाण पत्र संलग्न है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन ब्यौरा।	–
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित बनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	मानचित्र संलग्न।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस–पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	मानचित्र संलग्न ।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि।	संलग्न।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	रू0 2,66,69,771.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	संलग्न।
11	जिला /उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7,8,9, से पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।	संलग्न।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर
(i)	जिले के भौगोलिक क्षेत्र	2860 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	33229.46 हे0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	07 मामले में 100.959 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित की गयी है एवं एक प्रकरण में भारतीय सेना को 25887.64 हे0 वन भूमि पर युद्धाभ्यास की अनुमति दी गयी थी जो दिनांक 31.12.15 को समाप्त हो चुकी है। (युद्धाभ्यास के उक्त अनुमति क्षेत्र के 10 प्रतिशत के बराबर अर्थात 2588.76 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना था।)
(iv)	1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक	2790.15 हे0
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	14.04 हे0।
ख	वनेत्तर भूमि पर दि0 11.7.16. .तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	2588.80 हे0
13	प्रस्ताव की स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक विशेष सिफारिश।	जनहित में भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

दिनांकः– 26/11/16
स्थानः–सहारनपुर।

(राम राज गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर।